सत्यमेव जयते

भारत सरकार

केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट)

विवरण-पत्रिका 2026

वेसल नाविगेटर पाठ्यक्रम (वी.एन.सी)
एवं
मरीन फ़िटर पाठ्यक्रम (एम.एफ़.सी)

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत

सिफनेट

केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) जो पहले केन्द्रीय मत्स्य कर्मी संस्थान (सी.आइ.एफ.ओ) के नाम से जाना जाता था, की स्थापना, गहरे समुद्र में जानेवाले मत्स्यग्रहण जलयानों तथा मत्स्यन उद्योग के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1963 में कोच्ची में की गई थी| तत्पश्चात् सिफनेट की दो इकाइयां क्रमश: 1968 और 1981 में चेन्नै और विशाखपटनम में स्थापित की गईं, ताकि समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के विस्तार के कारण मत्स्यग्रहण जलयानों की संख्या बढ जाने से हुई मानवशक्ति की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकें | बाद में, संस्थान के कार्यों के अनुरूप इसके नाम को परिवर्तित करके इसे केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) बना दिया गया| सिफनेट इस देश का एकमात्र राष्ट्रीय संस्थान है, जो व्यापारिक नौवहन (संशोधन) अधिनियम 1987 में निर्धारित समुद्री मत्स्यग्रहण जलयानों में स्किप्पर, मेट, इंजीनियर, इंजन चालक जैसे तकनीकी और प्रशिक्षित कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है| तटीय प्रतिष्ठानों केलिए आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति विकसित करने के लिए भी सिफनेट जिम्मेदार है|

इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- समुद्र में मछली पकडनेवाले जलयानों के प्रचालन के लिए तकनीकी मानव शक्ति का सृजन करना ।
- मात्स्यिकी स्थापनाओं के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति का सृजन करना ।
- समुद्रवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मछुआरा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना|
- दक्षिण-पूर्वी एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्रों के विकासशील देशों में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी मानवशक्ति का सृजन करने में सहयोग देना ।
- तकनीकी मानवशक्ति की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में सभी मामलों में तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करना|

सुविधाएं

आधारिक संरचना

इस संस्थान के तीनों केंद्रों में सुसज्जित स्थाई आधारिक संरचना उपलब्ध हैं, जिसमें कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, वर्कषॉप, नौचालन-चार्ट हॉल, सिमुलेटर, क्राफ़्ट एवं गियर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य सुविधाएं शामिल है|

सिफनेट के मुख्यालय कोच्ची में तथा चेन्नै और विशाखपटनम स्थित दोनों इकाइयों में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा संबंधित सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है|

प्रशिक्षण जलयान

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नौसंचालन और मात्स्यिकी विज्ञान का विस्तृत अध्ययन है, जिसके लिए समुद्र में जाना अनिवार्य होता है| पाठ्यचर्या के मुताबिक आवश्यक समुद्री प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान के पास तीन समुद्रगामी मत्स्यग्रहण प्रशिक्षण जलयान हैं, जिनमें से एक प्रत्येक केंद्र में तैनात है| इन जलयानों की कुल लंबाई 28 से 34 मीटर और अश्वशक्ति 600 से 750 बी.एच.पी है|

विभाग

इस संस्थान के प्रत्येक केंद्र में निम्नलिखित विभाग हैं:

मत्स्यन प्रौद्योगिकी विभाग

इस विभाग में मत्स्यन गियरों के निर्माण और मरम्मत में प्रशिक्षण प्रदान करने की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है| इस प्रभाग में मत्स्यन गियर सामग्रियों तथा डिज़ाइन, मत्स्यग्रहण तकनीक, मत्स्य जैविकी, डेक उपकरणों आदि में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाएं चलाए जाते हैं| संस्थान के प्रशिक्षण जलयानों के लिए आवश्यक मत्स्यन गियरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है | इस प्रभाग के अंतर्गत मत्स्यन गियर और मत्स्य जैविकी की प्रयोगशाला भी शामिल हैं|

नौचालन विज्ञान विभाग

सिफनेट के तीनों केंद्रों के नौचालन विज्ञान विभाग में नाविककला, नौचालन, समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान विषयों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध है। तट पर प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं।

इस विभाग के अंतर्गत नौचालन सिमुलेटर, नौसंचालन और सुरक्षा के आधुनिक उपकरणों के साथ साथ एक विस्तृत नौचालन हॉल उपलब्ध है जिसमें चार्ट प्रयोग और समुद्री यातायात की योजना बनाने पर प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |

समुद्री इंजीनियरी प्रभाग

इस विभाग के अंतर्गत समुद्री इंजन, समुद्री सहायक सामग्रियाँ, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग, मत्स्यन क्राफ्ट प्रौद्योगिकी, प्रशीतन, और द्रवचालिकी जैसे इंजीनियरी के विभिन्न विषय आते हैं। संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को इन विषयों में व्यवस्थित प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेहतरीन सुविधा वाले वर्कषॉप और प्रयोगशालाएँ इस संस्थान में मौजूद हैं।

समुद्री इंजीनियरी वर्कषॉप

इस संस्थान के प्रशिक्षण जलयान के अनुरक्षण और मरम्मत केलिए एक सुसज्जित वर्कषॉप है| इसमें मशीनिंग, वेल्डिंग, स्मिथि, फ़िटिंग, कार्पेंटरी और आइ सी इंजन रीफ़िटिंग में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है|

प्रशिक्षण अनुभाग

संस्थान के सभी प्रशिक्षण गतिविधियों का समन्वयन प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा किया जाता है| प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन, साक्षात्कार, पाठ्यचर्या का विकास, योजना विकास तथा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा किया जाता है| यह अनुभाग संस्थानोत्तर प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार संबंधी मार्गनिर्देश भी प्रदान करता है|

पुस्तकालय

संस्थान के तीनों केंद्रों के पुस्तकालय नौचालन विज्ञान, समुद्री इंजीनियरी, मत्स्यन यान प्रौद्योगिकी, मत्स्यन गियर प्रौद्योगिकी, वर्कषॉप प्रौद्योगिकी, विद्युत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्यूटर विज्ञान, मत्स्य जैविकी, मत्स्य संभलन, समुद्री मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, प्रशीतन, दवचालिकी आदि विषयों से जुडी तकनीकी-वैज्ञानिक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं से सुसज्जित है।

पाठ्यक्रम

नियमित पाठ्यक्रम और अनुषंगी पाठ्यक्रम

इस संस्थान द्वारा 2006 से लेकर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत रूप दिए गए 'वेसल नाविगेटर' और 'मरीन फ़िटर' नामक दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनकी अवधि दो वर्ष है| समुद्री क्षेत्र में प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त व्यवसायियों के सृजन करने तथा मत्स्यग्रहण जलयानों के डेक और इंजन से जुडे कार्य करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए ये दोनों पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे| ये प्रशिक्षण सफ़लतापूर्वक पूरा करके आवश्यक समुद्री सेवा प्राप्त उम्मीदवार समुद्री वाणिज्य विभाग, नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जानेवाली सक्षमता परीक्षा लिखने के पात्र बन जाते हैं|

इसके अतिरिक्त विभिन्न तटीय मात्स्यिकी संगठनों के प्रबंधन करने वाले कार्मिकों की सेवार्थ इस संस्थान द्वारा षोर मेकानिक पाठ्यक्रम (12 महीने), मत्स्यन गियर प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा (12 महीने) और मात्स्यिकी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (12 महीने) जैसे अनुषंगी पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

सांविधिक पाठ्यक्रम

नौवहन महानिदेशालय के अधीनस्थ समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए जानेवाले सक्षमता प्रमाण पत्र पाने के लिए प्राथमिक मत्स्यन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, उन्नत मत्स्यन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, और रडार ओब्सर्वर्स कोर्स जैसे तैयारी स्तर के कई पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं| प्राथमिक मत्स्यन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम और उन्नत मत्स्यन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारत में, नौवहन महानिदेशालय की मान्यताप्राप्त एकमात्र एजेंसी सिफनेट ही है|

परीक्षाओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

नौवहन महानिदेशालय के अधीनस्थ समुद्री वाणिज्य विभाग की सक्षमता परीक्षाएं लिखनेवाले उम्मीदवारों के ज्ञानवर्धन केलिए तैयारी स्तर के कई पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं| उम्मीदवारों को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा लिखने के काबिल बनाने के लिए सिफ़नेट द्वारा मेट फ़िशिंग वेसल परीक्षा, इंजन ड्राइवर फ़िशिंग वेसल परीक्षा, स्किप्पर ग्रेड- II परीक्षा, इंजीनियर फ़िशिंग वेसल परीक्षा आदि के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं|

विदेशी उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण

इस संस्थान द्वारा एफ़.ए.ओ फ़ेलोशिप, सी.एफ़.टी.सी, एस.सी.ए.ए.पी, ई.एस.सी.ए.पी, आइ.टी.ई.सी, कोलंबो प्लान आदि जैसे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नैजीरिया,जांबिया, तन्जानिया, घाना, पी.डी.आर येमन, म्यानमार, लाओस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, फ़िलिप्पीन्स, ओमान जैसे देशों से आनेवाले विदेशियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं| इस तरह इन वर्षों में दक्षिण पूर्वी एशिया में

मत्स्यन बेडों के लिए कर्मियों को तथा नौचालन, मात्स्यिकी और इंजीनियरी विषयों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करनेवाले नोडल संस्थान के रूप में सिफ़नेट उभर आया है|

अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

नौचालन, मात्स्यिकी और इंजीनियरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इस संस्थान की सुविधाओं को निम्नलिखित प्रतिभागियों के लिए विशिष्ट अल्पावधिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं|

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन देश भर में मछुआरों के लिए कौशल विकास और विस्तार/आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सहयोगी संगठनों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम
- मात्स्यिकी संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- मात्स्यिकी और वित्तीय संस्थानों के नए कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम
- कॉलेज के संकाय सदस्यों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- मात्स्यिकी कॉलेज के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों और इंजीनियरी कॉलेज के बी टेक, एम टेक छात्रों के लिए अल्पावधिक पाठ्यक्रम

पिछले कुछ वर्षों से छात्र समूह के लिए विभिन्न अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए सिफनेट की विशेषज्ञता, और आधारभूत संरचनाओं का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है| आइ.टी.आई/आई.टी.सी, स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों तथा इंजीनियरी कॉलेज के छात्रों को ये विशेष कार्यक्रम तथा मछुआरों/मछुआ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने और आवश्यक प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है|

- **मात्स्यिकी कॉलेज के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए**
  - ➢ मत्स्यन प्रौद्योगिकी
  - ➢ मत्स्य जैविकी
  - ➢ प्रशीतन और उपकरण इंजीनियरी
  - ➢ मत्स्यग्रहण जलयान इंजीनियरी
  - ➢ नाविककला और नौचालन
  - ➢ समुद्र विज्ञान और मौसमविज्ञान
- **एम टेक / बी टेक छात्रों के लिए**
  - ➢ समुद्री डीजल इंजन और सहयोगी प्रणाली
  - ➢ समुद्री इंजीनियरी
  - ➢ समुद्री प्रशीतन
  - ➢ समुद्री विद्युत प्रौद्योगिकी
  - ➢ बिजली उत्पादन और जलयान के पटल पर वितरण
  - ➢ समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बिजली की पूर्ति

वेसल नाविगेटर पाठ्यक्रम (वी.एन.सी) और मरीन फिटर पाठ्यक्रम (एम.एफ़.सी)

'वेसल नाविगेटर' और 'मरीन फ़िटर' ऐसे दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत शुरू किए गए हैं| समुद्री क्षेत्र में प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त व्यवसायियों के सृजन करने तथा मत्स्यग्रहण जलयानों के डेक और इंजन से जुडे कार्य करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए ये दोनों पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे| इनकी अवधि दो वर्ष है|

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के अनुमोदने से ये पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत में पहली बार सिफनेट में ये शुरू किए गए हैं और ये आवासीय पाठ्यक्रम हैं|

उपर्युक्त पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उम्मीदवार नौचालन, समुद्री इंजीनियरी जैसे विशेष विषयों में शैक्षिक और प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें मत्स्यग्रहण जलयानों, समुद्री यानों एवं तटीय प्रतिष्ठानों में रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करेंगे|

वेसल नाविगेटर पाठ्यक्रम

सिद्धांत	प्रायोगिक एवं मौखिक
1. सामान्य अंग्रेजी 2. अनुप्रयुक्त गणित 3. मत्स्यन गियर सामग्रियां, उपकरण और डिजाइन 4. नाविककला, सुरक्षा और निगरानी 5. प्रारंभिक समुद्री इंजीनियरी 6. रोजगारोन्मुख कौशल 7. नौ वास्तुकला और जहाज निर्माण 8. मत्स्यग्रहण तकनीक 9. समुद्री मात्स्यिकी, मत्स्य प्रसंस्करण और मत्स्य खोजी उपकरण 10. प्रायोगिक नौचालन 11. समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्रविज्ञान के बुनियादी तत्व 12.	**प्रायोगिक** 13. चार्ट कार्य 14. मत्स्यन गियर **मौखिक** 15. नाविककला और नौचालन 16. मत्स्यन गियर प्रौद्योगिकी 17. जलयान पर प्रशिक्षण- नौचालन पहलुएं और मात्स्यिकी **रिपोर्ट** 18. नौचालन पहलुएँ और मात्स्यिकी विषयों पर जलयान पर आयोजित प्रशिक्षण की रिपोर्ट (टार बुक)

मरीन फिटर पाठ्यक्रम

सिद्धांत	प्रायोगिक एवं मौखिक
1. सामान्य अंग्रेजी 2. अनुप्रयुक्त गणित	
3. समुद्री इंजन 4. वर्कषॉप प्रौद्योगिकी 5. इंजीनियरी ड्रॉयिंग 6. समुद्री विद्युत प्रौद्योगिकी 7. बुनियादी इलेक्ट्रॉनिकी और इन्स्ट्रूमेन्टेशन 8. रोजगारोन्मुख कौशल 9. सामान्य इंजीनियरी ज्ञान 10. नौ वास्तुकला और जहाज निर्माण 11. मशीन ड्रॉयिंग 12. द्रवचालिकी और डेक मशीनरी 13. मत्स्यन प्रौद्योगिकी 14. नाविककला और नौचालन 15. ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतन	**प्रायोगिक एवं मौखिक** 16. वर्कषॉप प्रयोग 17. वर्कषॉप प्रयोग और मौखिक 18. जलयान पर प्रायोगिक प्रशिक्षण – सभी इंजीनियरी प्रणाली के प्रचालन और अनुरक्षण **रिपोर्ट** 19. जलयान पर प्रशिक्षण – प्रचालन, दोष निवारण और समुद्री इंजन, सहायक सामग्रियों अन्य मशीनरियों एवं उपकरणों के अनुरक्षण

अध्ययन का तरीका

सिद्धांत: - इस संस्थान के अनुभवी संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों की सैद्धांतिक कक्षायें चलाई जाती हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है| मल्टी मीडिया, इंटरनेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, लाइव मोडल जैसे अत्याधुनिक अध्ययन सामग्रियों की सहायता से कक्षाएं चलाई जाती हैं|

प्रायोगिक: - इस पाठ्यचर्या में नौचालन विज्ञान, मत्स्य जैविकी, मत्स्यन क्राफ़्ट प्रौद्योगिकी, मत्स्यन गियर आदि में प्रायोगिक प्रशिक्षण का बडा महत्व है| छात्रों को सुसज्जित प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है|

जलयान के पटल पर प्रशिक्षण: - जलयान के पटल पर दिया जानेवाला प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को जलयान के प्रचालन और अनुरक्षण पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है, जो इस पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता है|

शुल्क की वापसी के नियम

- यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पाठ्यक्रम की शुरुआत से पहले वी.एन.सी/एम.एफ़.सी का अध्ययन समाप्त करता है, तो प्रसंस्करण शुल्क के रूप में केवल रु 1000/- की कटौती करके शेष पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।
- प्रवेश पाने के बाद यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण समाप्त करता है, और यदि प्रवेश की अंतिम तारीख से पहले किसी अन्य प्रशिक्षणार्थी द्वारा वह सीट भर दिया जाता है तो प्रसंस्करण शुल्क के रूप में केवल रु 1000/- और अध्ययनकाल की औसत शुल्क की कटौती करके शेष पूरी राशि वापस कर दी जाएगी ।
- यदि रिक्त सीट भरा नहीं जाता तो संस्थान द्वारा सभी प्रतिदेय राशि (यदि कोई हो तो) और प्रशिक्षणार्थी के सभी मूल दस्तावेज़ वापस कर दिए जायेंगे।

मूल्यांकन का तरीका

प्रगति रिकार्ड का अवलोकन	:	I एवं II आंतरिक परीक्षाएं
परीक्षाएं	:	अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा एन.सी.वी.ई.टी द्वारा चलाई जाएगी
दिए जानेवाले प्रमाण पत्र	:	पाठ्यक्रम सफ़लतापूर्वक पूरा करने पर एन.सी.वी.ई.टी द्वारा प्रमाण पत्र दी जाएगी
निम्नतम हाजिरी	:	एन.सी.वी.ई.टी द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार
परिहार प्रमाण पत्र	:	सिफनेट द्वारा प्रायोजित संस्थानोत्तर प्रशिक्षण सफ़लतापूर्वक पूरा करने के पश्चात

जीविका की रूपरेखा

दो वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उम्मीदवार मत्स्यग्रहण जलयानों में अथवा मत्स्यन गियरों के निर्माण और अनुरक्षण से जुडे तटीय स्थापनाओं और वर्कषॉप में रोज़गार पा सकते हैं । विभिन्न स्तरों पर आवश्यक समुद्री सेवा पाने पर वे गहरे समुद्र में प्रचालन करनेवाले मत्स्यग्रहण जलयानों में मेट/स्किप्पर अथवा मुख्य इंजीनियर के पद तक भी नौकरी पाने के पात्र हैं।

सीटों की संख्या

पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या			कुल	टिप्पणी
	कोच्ची	चेन्नै	विशाख		
वेसल नाविगेटर	16+4*	16+4*	16+4*	48+12*=60	जन.-22, ई.डब्ल्यू.एस-4, ओ.बी.सी-12 , एस.सी- 7, एस.टी-3
मरीन फ़िटर	16+4*	16+4*	16+4*	48+12*=60	जन.-22, ई.डब्ल्यू.एस-4, ओ.बी.सी -12 , एस.सी - 7, एस.टी -3

टिप्पणी: 1. प्रथम वर्ष के अंत में आयोजित की जानेवाली परीक्षा में कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण न होनेवाले उम्मीदवार को द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षण पूरा होने तक वृत्तिका नहीं दी जाएगी|

* प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक केंद्र में चार सीटें राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं| प्रायोजित उम्मीदवारों के अभाव में ये सीटें प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे, लेकिन इन्हें वृत्तिका नहीं दी जाएगी। प्रायोजित उम्मीदवारों के सभी शुल्क और प्रशिअक्षणार्थी को देय वृत्तिका प्रायोजन करने वाली एजेंसी द्वारा दी जाएगी।

चयन का तरीका: प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी) और शैक्षिक योग्यता के आधार पर तथा प्रायोजन के ज़रिए

पात्रता निकष

प्रवेश अर्हता : वी.एन.सी/एम.एफ़.सी के लिए दसवीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा में गणित और विज्ञान प्रत्येक में 40% अंक | उम्मीदवारों को उच्च अर्हता प्राप्त होने की स्थिति में भी दसवीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा के अंकपत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए| मार्च-जून 2026 में परीक्षा लिखनेवाले उम्मीदवार भी आवेदन देने के हकदार हैं

आयु सीमा : 1 अगस्त, 2026 को 15 से 20 वर्ष| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता होगी| आयु/जन्म तिथि प्रमाणपत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए| आयु में शिथिलता का दावा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों से प्राप्त समुदाय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, अन्यथा आयु सीमा में शिथिलता नहीं दी जाएगी|

शारीरिक स्वस्थता : मत्स्यग्रहण जलयान के पटल पर श्रमसाध्य काम करने के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए|

दृष्टि : वेसल नाविगेटर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पाने से पहले उम्मीदवारों को डी जी षिप्पिंग द्वारा अनुमोदित डॉक्टर से निर्धारित नेत्र परीक्षण पास करना होगा।

वृत्तिका : रु .1500/- प्रति माह (केवल वृत्तिक उम्मीदवारों के लिए) प्रवेश पाने के समय प्रतिभूति जमा के रूप में रु.15,000/- की अदायगी पर

अध्यापन का माध्यम : अंग्रेज़ी

वर्दी : सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं के लिए वर्दी अनिवार्य है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को निदेश दिया जाता है कि संस्थान में सम्मिलित होने के बाद ही वर्दी खरीदें, ताकि इसके रंग एक समान हो।

छात्रावास सुविधाएँ

आवासीय पाठ्यक्रम होने के कारण सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के परिसर में छात्रावास सुविधा प्रदान की जाएगी।

शुल्क संरचना

क्र. सं	ब्योरा	राशि रु.	टिप्पणी
1	शिक्षा शुल्क	3,000	वार्षिक (प्रति माह रु 250/- के दर पर)
2	स्पोर्ट्स शुल्क	600	वार्षिक
3	पत्रिका शुल्क	250	
4	कंप्यूटर और इटरनेट सुविधा	500	
5	तैराई शुल्क	1,500	
6	प्रयोगशाला शुल्क	350	
7	परामर्श शुल्क	25	प्रवेश के समय
8	छात्रावास किराया	4,800	प्रति माह रु .400/- के दर पर
9	जमानत राशि	2,500	प्रवेश के समय
10	छात्रावास मेस जमा	4,000	प्रवेश के समय
11	जलयान मेस जमा	2,800	प्रवेश के समय
12	अध्ययन यात्रा जमा	2,500	प्रवेश के समय
	कुल	**22,825**	

1. मेस शुल्क मासिक आधार पर देय होगा ।
2. डीजीटी मानकों के अनुसार व्यापार परीक्षाओं में सम्मिलित होने से पहले परीक्षा शुल्क देय होगा.
3. द्वितीय वर्ष का शुल्क वर्ष की शुरुआत में जमा करना होगा ।
4. यदि निर्धारित तिथियों के भीतर शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो प्रशिक्षुओं को जुर्माना/अतिरिक्त जुर्माने सहित शुल्क जमा करना होगा ।

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका को सिफनेट की वेबसाइट **www.cifnet.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है । एस एस एल सी/10वीं कक्षा की परीक्षा प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो) और समुदाय प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग केलिए) और अपना पता लिखित 11 x 22 सें.मी साइज़ का एक लिफाफा (बिना स्टैंप के) आदि आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना है । आवेदन **'निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), फाईन आर्ट्स एवन्यू, फोरषोर रोड, कोच्ची-682016'** पते पर विज्ञापन में बताए गए अंतिम तिथि से पहले पहुँचना चाहिए । जो आवेदन देर से प्राप्त होंग / अधूरे होंगे, या जिनमें आयु प्रमाणपत्र**,** एस एस एल सी अंक पत्र**,** समुदाय प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग- गैर क्रीमी लेयर / सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग केलिए**)** या मूल डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं हो, उन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

आवेदन पत्र भरने के दिशा-निर्देश:

1. अस्पष्ट / गलत / काट-छांट के साथ भरा हुआ या अधूरा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसके लिए केवल आवेदक ही जिम्मेदार होगा ।
2. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी और उसमें सुधार, परिवर्तन, जोड़ आदि के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आवेदन पत्र केवल अंग्रेज़ी में बड़े अक्षरों में भरें।
4. प्रत्येक बॉक्स में केवल एक ही अक्षर लिखें।

डाउनलोड किया हुआ और ठीक से भरा हुआ आवेदन पत्र **'भुगतान और लेखा अधिकारी, कोच्ची के नाम पर लिए डिमांड ड्राफ्ट जो एर्णाकुलम में देय हो'** आवेदन शुल्क रु**.**350/- (सामान्य / अन्य पिछडे वर्ग- गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए) और रु**.** 175/- (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति केलिए) के साथ भेजना होगा।

भरे हुए आवेदन पत्र कि निम्न पते पर भेजें:	निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), भारत सरकार फाईन आर्ट्स एवन्यू, फोरषोर रोड, कोच्ची-682016 , केरल

राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन:-*18001805522*

प्रवेश सहायता हेल्पलाइन: 0484-2351610, exn:235

नोट: प्रवेश के बाद सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वेबसाइट www.antiragging.in पर जाएँ और अपनी एंटी-रैगिंग घोषणा-पत्र का विवरण अपडेट करें।

अनुलग्नक -1

----------------सरकार

(जारी करनेवाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या: _____________

दिनांक: ___________________

वर्ष ....के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________________________ के सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री __________________गाँव/शहर __________________ गली/सड़क _______ __________________ पोस्ट ऑफिस __________________ जिला__________________ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र__________________ पिन कोड के स्थायी निवासी, जिनका फोटो नीचे प्रमाणित है, उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का सदस्य माना जाता है, क्योंकि इनके परिवार* की वित्तीय वर्ष-----------की कुल वार्षिक आय* 8 लाख रुपये (आठलाख रुपये मात्र) से कम है। इनका परिवार निम्नलिखित में से किसी भी संपत्ति का स्वामी नहीं है ।

i. 5 (पांच) एकड़ अथवा उससे अधिककृषि भूमि ।
ii. 1000 वर्ग फुट अथवा उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्रों में 100 वर्ग गज अथवा उससे अधिक का आवासीय प्लॉट ।
iv. अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से बाहर 200 वर्ग गज अथवा उससे अधिक का आवासीय प्लॉट ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _________,_______जाति के हैं, जो उन जातियों में नहीं आते हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडे वर्ग के रूप में आरक्षण प्राप्त है(केन्द्रीय सूची)।

आवेदक की सत्यापित फोटो

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर ____________

नाम: ________________________

पदनाम ________________________

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

**नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उनके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उनका/उनकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं ।

नोट 3: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग स्थिति के निर्धारण करने के लिए, भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण में 'परिवार' के स्वामित्ववाली संपत्ति में विभिन्न स्थानों या अलग-अलग जगहों/शहरों में स्थित संपत्ति, को एक साथ जोड़ा जाएगा ।

ओ बी सी एन सी एल फॉर्म

<u>अन्य पिछडे वर्ग–नवोन्त वर्गप्रमाणपत्र फॉर्मेट</u>

भारत सरकार के अधीन केंद्रीय शैक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछडे वर्ग – नवोन्नत वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु .... के सुपुत्र / सुपुत्री जो ....ग्राम/कस्बा ....जिला/संभाग................राज्य के निवासी है ....समुदाय के हैं, जिसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प के सं...दिनांक.............................के अंतर्गत पिछडे वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

श्री/श्रीमती/कु ....तथा/या उनका परिवार सामान्यत:...........................राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के

.... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93 स्था.(एस सी टी) जो दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन सं 36033/3/2004 स्था.(रेस) के अनुसार संशोधित है और आगे दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं 36033/2/2013स्था.(रेस) के अनुसार संशोधित तथा पुन: दिनांक 30.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं 36036/2/2013 स्था.(रेस) के तहत संशोधित है, की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवेन्नत वर्ग) में से नहीं है ।

जिला मजिस्ट्रेट/
उप आयुक्त /
अन्य कोई सक्षम प्राधिकारी
दिनांक:
मुहर :

...

** कृपया उन शब्दों को हटाएँ जो लागू नहीं हैं।*

** जैसा कि ओ बी सी-एन सी एल फार्म के परिशिष्ट में सूचीबद्ध है,

*** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण का उल्लेख करना है, जिसमें उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है।

टिप्पणी:

यहाँ प्रयुक्त शब्द' सामान्यतः निवास करता है'का वही अर्थ होगा जोजन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

जिला मजिस्ट्रेट / अपर मजिस्ट्रेट / जिलाधीश / उप आयुक्त / अपरउपआयुक्त /उपजिलाधीश / प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट / उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे न हो)।

II. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

III. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो।

IV. उस क्षेत्र का उपप्रभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसके परिवार रहते हैं

CIFNET ADDRESSES FOR COMMUNICATION

मुखयालय,कोच्ची	केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), भारत सरकार फाईन आर्ट्स एवन्यू, फोरषोर रोड, कोच्ची-682016 ,केरल **दूरभाषा:** ***0484-2351610, 2351493, 2351790.*** **फाक्स:** ***0484-2370879*** **ईमेल:** ***cifnet@nic.in,*** ***cifnethq@yahoo.com*** **वेबसाइट:** ***www.cifnet.gov.in***
इकाई – चेन्नै	केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), नं. 59 एस. एन. चेट्टी स्ट्रीट, रायपुरम, चेन्नै – 600 013. ***Ph: 044-25952691, 25952692 Fax: 044-25951785.***
इकाई – विशाखपटनम	केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), पोस्ट बॉक्स सं.191, बीच रोड, विशाखपटनम – ***530 001.*** **दूरभाषा :** ***0891-2563894*** **फाक्स :** ***0891-2566787.***